समिति कक्ष 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 में 12 जनवरी 2018 को अपराह्न 1.00 बजे विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) की अध्यक्षता में लाजिस्टिक्स पर अंतर्मंत्रालयी स्थायी समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में हितधारक मंत्रालयों / संगठनों से निम्नलिखित नोडल अधिकारियों ने भाग लिया:

1. सुश्री वंदना अग्रवाल, आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
2. श्री एस पी साहू, संयुक्त सचिव, सीवीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव (राजमार्ग), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
4. श्री नवीन शुक्ला, प्रधान ईडी (मोबिलिटी), रेल मंत्रालय
5. श्री अभिषेक चंद्र, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय
6. डॉ. के बंगारूरंजन, संयुक्त औषधि नियंत्रक, सीडीएससीओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7. श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव, लाजिस्टिक्स, वाणिज्य विभाग
8. श्री केशव चंद्र, संयुक्त सचिव, लाजिस्टिक्स, वाणिज्य विभाग
9. श्री डी पी महापात्र, अपर डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग
10. श्री एस के अहिरवार, निदेशक (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग
11. श्री अमन शर्मा, निदेशक (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग

18 अक्टूबर 2017 को लाजिस्टिक्स पर सचिव समिति की बैठक के दौरान प्राप्त निदेशों के अनुसार लाजिस्टिक्स पर इस अंतर्मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससीएल) का गठन किया गया। पहली बैठक का एजेंडा देश में लाजिस्टिक्स सेक्टर के समेकित विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करना था।

क. शुरू में विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) ने आईएमएससीएल के सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा बताया कि इस संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए विचार विमर्श करना तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार करना है :

- देश में लाजिस्टिक्स की लागत को कम करना
- लाजिस्टिक्स के प्रचालन को अधिक दक्ष बनाना

ख. विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) ने यह भी बताया कि आईएमएससीएल की सभी कार्यवाही महत्वपूर्ण है तथा कार्य योजना सचिव समिति की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

ग. श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (लाजिस्टिक्स) द्वारा भारत में लाजिस्टिक्स की दशा, चुनौतियों तथा संभावित समाधानों पर आईएमएससीएल के समक्ष एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई।

घ. अपने विचार विमर्श के दौरान आईएमएससीएल ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

I. प्रत्येक मंत्रालय को 15 दिन के अंदर सीमा पारीय व्यापार तथा विश्व बैंक की लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लाजिस्टिक्स की लागत को कम करने के बारे में कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। कार्य योजना में लक्ष्य, करणीय बिंदुओं तथा मील पत्थरों / समय सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

II. मल्टी माडल लाजिस्टिक्स को सरल बनाने तथा प्रचालन को आसान बनाने के लिए सिफारिश की गई थी जीएसटी परिषद / राजस्व विभाग को प्रत्येक परिवहन लेग के लिए जीएसटी की अनेक दरों को समाप्त करना चाहिए तथा मल्टी माडल लाजिस्टिक्स के लिए केवल एकल एकसमान जीएसटी दर लागू करनी चाहिए।

III. यह भी सिफारिश की गई कि जीएसटी परिषद / राजस्व विभाग को मल्टी माडल लाजिस्टिक्स के लिए सभी परिवहन लेग के लिए सिंगल ई-वे बिल लागू करना चाहिए।

IV. आईएमएससीएल में डीएफएस तथा राजस्व विभाग (जीएसटी) के प्रतिनिधि को सहयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि लाजिस्टिक्स सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर तथा जीएसटी से संबंधित अनेक मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

V. एक्सप्रेस इंडस्ट्री कार्गो के लिए एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम (ईसीसीएस) जो पूरी तरह पेपरलेस और त्वरित है, जैसी कस्टम की हाल की पहलों को सामान्य एग्जिम कार्गो के लिए भी सभी पोर्ट / एयरपोर्ट पर लागू किया जाना चाहिए।

VI. देश में मल्टी माडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) स्थापित करने के लिए सही साइट की पहचान करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे कि रेल मंत्रालय, कोंकोर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि को सूचना साझा करनी चाहिए तथा संयुक्त बैठकों का

आयोजन करना चाहिए ताकि एमएमएलपी सही मायने में मल्टी माडल बन सके, लाजिस्टिक्स की लागत कम हो सके, माल का परिवहन तेजी से हो सके तथा शहरों में ट्रैफिक की भीड़भाड़ भी न हो।

VII. आईएमएससीएल को माल के अंतर्राज्यीय परिवहन में शामिल दस्तावेजों / प्रक्रियाओं को सरल बनाने की इच्छुक राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए।

VIII. औषधि नियंत्रक 10 सी पोर्ट तथा 6 एयर पोर्ट पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज न करे अपितु देश में सभी सी पोर्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करे।

IX. औषधि नियंत्रक को सभी सी पोर्ट तथा एयरपोर्ट पर कस्टम की स्विफ्ट प्रणाली का सदस्य बनाया जाए।

X. औषधि नियंत्रक यूएसए के एचएसीसीपी जैसी प्रणाली के सृजन पर विचार करे जहां निर्यातक कंपनियों को एचएसीसीपी प्रत्यायन प्राप्त करना होता है तथा ऐसे एचएसीसीपी अनुपालक स्रोतों से आयात को पोर्ट पर ग्रीन चैनल प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रणाली को लागू करने से पोर्ट क्लियरेंस की संपूर्ण प्रक्रिया त्वरित तथा स्वचालित (आरएमएस आधारित) हो जाएगी तथा डीसी को भारी मात्रा में कार्यबल रखने की आवश्यकता से भी छुटकारा मिल जाएगा।

ङ. आईएमएससीएल की अगली बैठक 30 जनवरी 2018 को होगी। बैठक का समय और स्थान यथासमय परिचालित किया जाएगा। इस बैठक में उपर्युक्त 1 में उल्लिखित कार्य योजना पर चर्चा होगी। आईएमएससीएल के सदस्यों के बीच आसानी से संचार के लिए एक वाट्सअप ग्रुप (आईएमसी लाजिस्टिक्स) का सृजन किया गया है।

यह विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हस्ता/-

(अमन शर्मा)
निदेशक (लाजिस्टिक्स)

प्रति प्रेषित :

1. विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स)
2. आईएमएससीएल के सभी सदस्य
3. मंत्रिमंडल सचिव – केवल सूचना के लिए
4. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव – केवल सूचना के लिए